9/5/17

किसान मान राजस्व के खाते दर्ज की गई वाली भाडा भूमि- अधिनियम की के साथ भागीदार पुजारी के रूप में नाम जुड़वाना चाहता है तो पूर्व में राज्य सरकार द्वारा विधि अनुरूप की अधिक करने के उपरान्त ही नियमानुसार पुजारियों के नाम खाते में स्वीकृत कर दी समस्त भूमियें भाडा- भूमियों के नाम दर्ज की गई थी दोनों भूमियों में भूमि भाडा के साथ भागीदार अथवा पुजारी का नाम खाते में जोड़े जाने का कोई प्रावधान नियमानुसार नहीं है पत्रावली व जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी का नाम भाडा की भूमियों पर पुजारी का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं होने से वादी का दावा स्वीकृत किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो गणना से कम होकर शामिल दफ्तर हो रवाना लगाया जावे।

9/5/17

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)